राजस्थान सरकार
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर 23784-24121

क्रमांकः एफ3(91)पो/विविध/आईसीडीएस/2019 2512 जयपुर,दिनांकः 27.4.2020

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त।

विषयः कोरोना वायरस (COVID-19) से उत्पन्न आसन्न संकट के दौरान पूरक पोषाहार सेवा के सम्बन्ध में

संदर्भः विभागीय समसख्यक आदेश कमांक 34616 दिनांक 20.03.2020 35592–929 दिनांक 01.04.2020 के कम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों की पालना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत समस्त इच्छुक लाभार्थियों को वर्ष में तीन सौ दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराए जाने की सुनिश्चितता हेतु कोरोना वायरस के आसन्न संकट को देखते हुए समस्त प्रकार के लाभार्थियों को टेक होम राशन उपलब्ध करवाने हेतु निम्नानुसार साबुत खाद्य सामग्री दिए जाने के लिए निर्देशित किया गया है–

पोषाहार सामग्री THR (For 25 Days in a Month)				
क्र. सं.	सामग्री	गर्भवती व धात्री महिलाएं तथा 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं	6 माह से 6 वर्ष के बच्चे	6 माह से 6 वर्ष के तक के अति कम वजन वाले बच्चे
		मात्रा (ग्राम में)	मात्रा (ग्राम में)	मात्रा (ग्राम में)
1.	गेहूं	3000	2000	3000
2.	चना दाल	1000	1000	2000
	योग	**4000**	**3000**	**5000**

दाल के रूप में चना दाल की आपूर्ति के लिए **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड)** को दाल की आपूर्ति हेतु आदेश दे दिए जा

Scanned by CamScanner

चुके हैं, जिसकी **राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम** द्वारा राशन डीलर को यह आपूर्ति की जा रही है। राशन डीलर के यहाँ से आंगनबाडी कार्यकर्ता उठाव कर लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु ले जायेगी व निर्धारित मात्रा में समुचित पैकिंग कर वितरण करेगी।आंगनबाडीवार तथा राशन डीलरवार दी जाने वाली दाल की मात्रा विभाग की बेवसाइट पर अपलोड है। सुलभ संदभार्थ प्रति **संलग्न** है। इस अनुसार दाल का उठाव सुनिश्चित करें।

नैफेड से दाल आपूर्ति के लिए जो डाटा दिया गया है, उसकी प्रति **संलग्न** है। जिलेवार लाभार्थियों की रिपोर्ट में लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार ली गई है–

1. 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों की संख्या (राजपोषण पर दर्ज अनुसार)

2. शेष लाभार्थियों (गर्भवती व धात्री महिला तथा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों) की संख्या (RRS-MIS के जनवरी, 2020 के डाटा से)

3. जिस आंगनबाडी केन्द्र की सूचना RRS-MIS पर दर्ज नहीं थी, उस केन्द्र पर कुल लाभार्थी 50 मानते हुए ।

आंगनबाड़ी केंन्द्रों में दर्ज लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक परियोजना में 150 किग्रा दाल अलग से दी जा रही है, जो किसी जगह पर कमी की पूर्ति के लिए होगा। इसके लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी अधिकृत होंगे।

जिलेवार लाभार्थियों की **संलग्न** रिपोर्ट में अनेक आंगनबाड़ी केन्द्र में 100 या 200 से अधिक लाभार्थी दिखाये गये हैं। इनमें अनेक व्यावहारिक नहीं लगते, इसलिए क्रॉस चेक कर लें। यद्यपि उनके द्वारा भरी हुई सूचना के अनुरूप ही दाल की मात्रा दी गई है, लेकिन जहां भी 75 से अधिक लाभार्थी संख्या दिखाई गई है, वहां महिला पर्यवेक्षक अतिरिक्त रूप से प्रमाणित करेगी कि उसने लाभार्थियों के नाम को जाँच कर व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट कर लिया है।

टेक होम राशन के अन्तर्गत दी जाने वाली सामग्री में गेहूँ के लिए विभाग द्वारा रियायती दरों पर भारत सरकार से खाद्यान्न प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में खाद्यान्न प्राप्त होने पर **भारतीय खाद्य निगम** से आपूर्ति लेते हुए **राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम** द्वारा राशन डीलर को यह आपूर्ति की जायेगी। राशन डीलर के यहाँ से आंगनबाडी कार्यकर्ता उठाव कर लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु ले जायेगी व निर्धारित मात्रा में समुचित पैकिंग कर वितरण करेगी। वर्तमान में मिड–डे–मिल योजनान्तर्गत विद्यालयों में शेष गेहूँ खाद्यान्न को आईसीडीएस पोषाहार के लिए उपयोग किए जाने हेतु आयुक्त मिड–डे–मिल द्वारा दिनांक 06.04.2020 को आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं (प्रति **संलग्न**) एवं विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को भी उक्त कार्यवाही हेतु लिख दिया गया है। (प्रति **संलग्न**) उक्त खाद्यान्न को प्राप्त

Scanned by CamScanner

किए जाने हेतु आंगनबाडी केन्द्रवार लाभार्थियों की संख्या एवं मात्रानुसार गणना कर जिला शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्यवाही की जानी है। **अतः आगामी मई माह में दी जाने वाली साबुत खाद्य सामग्री में उपलब्धता के अनुसार उक्त खाद्यान्न गेहूँ का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।**

यद्यपि खाद्यान में गेंहू को ही आपूर्ति हेतु निर्धारित किया गया है, परन्तु विद्यालयों में चावल की मात्रा भी उपलब्ध है तो उसको भी आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा उठाव किया जा सकता है, चावल का उठाव किए जाने की स्थिति में वितरण के समय एक किलोग्राम गेहूँ के स्थान पर एक किलोग्राम चावल दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ यदि किसी लाभार्थी को दो किलोग्राम गेहूँ दिया जा रहा था, तो उसके एक किलोग्राम गेहूँ के बदले एक किलोग्राम चावल और शेष एक किलोग्राम गेहूँ दिया जाएगा। ऐसे ही तीन किलोग्राम गेहूँ के लाभार्थी को समान अनुपात में गेहूँ और चावल का वितरण किया जा सकता है। चावल का उठाव करते समय यह ध्यान रखा जावे कि यह एक आंगनबाडी केन्द्र के समस्त लाभार्थियो के अनुसार वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा मे हो जिससे उस केन्द्र के सभी लाभार्थियो को समान रूप से पूरक पोषाहार प्राप्त हो सके । किसी भी स्थिति में एक केन्द्र के समस्त लाभार्थीयों को अलग–अलग प्रकार के खाधान्न उपलब्ध नही करवाई जावे।

यद्यपि वर्तमान में कुल लगभग 62 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 37 हजार से अधिक केन्द्र ही विद्यालयों की सीमा में है, परन्तु अन्य केन्द्रों के लिए भी विद्यालयों से खाद्यान्न लिया जा सकता है।

मिड–डे–मिल योजनान्तर्गत शिक्षा विभाग से उठाए गए गेहूँ/चावल का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जायेगा। मिड–डे–मिल के तहत प्राप्त किए खाद्यान्न का विवरण **संलग्न प्रारूप** में संधारित किया जाये। विद्यालयों से उक्त गेहूँ का उठाव, मात्रानुसार पैकिंग तथा लाभार्थियों में वितरण किए जाने हेतु परिवहन, पैकिंग लागत व पारिश्रमिक राशि पूरक पोषाहार मद से ही प्रदान की जाएगी।

गेहूँ तथा दाल दोनों के उठाव हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ता अधिकृत होगी। जहां पर उसका पद रिक्त होगा, वहॉ आशा सहयोगिनी को यह दायित्व दिया जा सकता है आवश्यकतानुसार इसमें सहायिका को भी दायित्व दिया जा सकता है।

यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पर आदेश के तृतीय पैरा के बिन्दु सं. 1 से 3 में दर्शायी गई संख्या से अधिक लाभार्थी हैं, तो उसमें संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को सूचित करते हुए तथा RRS-MIS में सूचना अपडेट करते हुए उनकी अनुमति से शेष आवश्यक गेहूँ एवं दाल की पूर्ति आंगनबाडी मातृ बाल विकास समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर सामग्री क्रय कर की जावे। इसमें भी चूंकि गेंहू की मात्रा का अधिकांश वर्तमान स्तर पर विधालयों से लिया जा रहा है, अतः वहां से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त गेंहू भी लिया जा सकता है और उसे सामान्य रूप से क्रय की आवश्यकता नहीं रहेगी। दाल के लिए भी बाल विकास परियोजना अधिकारी के

Scanned by CamScanner

पास अतिरिक्त रूप में विदयमान दाल का उपयोग पहले किया जायेगा। किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पर यदि लाभार्थी कम है तो उनकी संख्या के अनुरूप बची हुई दाल का दूसरी जगह भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते इसकी सूचना समुचित रूप में दर्ज कर ली जाये।

निर्धारित मात्रानुसार तैयार पैकेट का आंगनबाडी केन्द्र के रिकार्ड में प्रविष्टि करते हुए लाभार्थियों को गृह–सम्पर्क कर वितरण किया जाए। लाभार्थियों को गृह–सम्पर्क के दौरान पोषाहार वितरण करते हुए पंजिका में लाभार्थियों के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करवाए जाए। वितरण दिवस में समस्त पैकिटों के वितरण पश्चात उक्त सूची को परियोजना के व्हाटस–एप ग्रुप पर कार्यकर्ता द्वारा अपलोड किया जावे। महिला पर्यवेक्षक द्वारा लाभार्थियों के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर वितरण की सुनिश्चितता की जावें, जिसका रेण्डम आधार पर परियोजना अधिकारियो द्वारा भी सत्यापन किया जावें। इस वितरण के समय इसकी सूचना आवश्यक रूप से सरपंच एवं वार्ड पंच को भी दी जावे। इसमें विभागीय अधिकारी भी रोटेशन बनाकर मोनिटरिंग सुनिश्चित करेगे

समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाडी मातृ बाल विकास समिति का विभागीय पत्रांक 34616 दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक 30.04.2020 तक अनिवार्य रूप से समितियों का गठन कर लिया जाए। समिति द्वारा उपरोक्त आपूर्ति का बिल प्रस्तुत करने से पूर्व विभागीय पत्रांक दिनांक 20.03.2020 के अनुसार अनुमोदन किया जाए, यदि आंगनबाडी मातृ–बाल विकास समिति द्वारा अप्रेल माह के दौरान भी कहीं वितरण किया गया है तो परियोजना कार्यालय द्वारा उक्त के भुगतान की कार्यवाही परिपत्र दिनांक 10.04.2020 के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित की जाये।

मिड–डे–मील से प्राप्त गेहूँ तथा नैफेड से प्राप्त दाल का उपयोग किए जाने की स्थिति में आंगनबाडी कार्यकर्ता को परिवहन, पैकिंग लागत व पारिश्रमिक के तौर पर प्रति लाभार्थी मासिक 15 रूपया देय होगा। यदि किसी स्थान पर दूरी अधिक होने के कारण वास्तविक लागत अधिक हैं, तो उसके प्रस्ताव प्रेषित कर दें। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को बजट आंवटन कर दिया गया है। समस्त परियोजना अधिकारी समिति द्वारा प्रस्तुत बिलों के आधार पर उसी माह में भुगतान की कार्यवाही करावें।

अतः पत्र में दी गई समयावधि के अनुसार समस्त आंगनबाडी केन्द्रों पर आंगनबाडी मातृ–बाल विकास समिति का गठन, आदेश प्रसारित करने एवं आगामी मई माह से पूरक पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चत करें।

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर ।

Scanned by CamScanner

क्रमांकः एफ3(91)पो/विविध/आईसीडीएस/2019 24122-24129 जयपुर,दिनांक 27.4.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, आयुक्त मिड–डे–मिल, राजस्थान, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, समस्त ।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय ।
7. एनालिस्ट कम प्रोगामर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु
8. रक्षित पत्रावली ।

27/4/2020

अतिरिक्त निदेशक (पो.)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner